Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 30–2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 28, 2020 (SRAVANA 6, 1942 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 31/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पढ़े गए, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 97/आरईजी–64 दिनांक 12.04.1991 के तहत जारी ह.रा.बि.बो. (विधिक सेवा) में नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए विनियम अधिसूचित करते हैं:–

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा–79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एतदद्वारा ह.रा.बि.बो. (विधिक सेवा) विनियमों में नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियम अधिसूचित करता है:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना:**

(i) ये विनियम हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (विधि सेवा) विनियम, 1991 कहे जा सकते है।

(ii) ये विनियम तुरन्त लागू होंगे।

(iii) ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

वे सरकारी कर्मचारी, जो दिनांक 31.01.1959 को पंजाब लोक निर्माण विभाग की भूतपूर्व विद्युत शाखा में मूल/स्थायी पैंशन–योग्य पद धारण करते थे, इन में वे भी शामिल हैं, जो उक्त शाखा में स्थायी पदों पर थे, जब वे संयुक्त पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में अन्यत्र सेवा में थे या जब उनकी सेवाएं बोर्ड को अन्तरित कर दी गई थी, उस समय तक इसके

परिशिष्ट–''ए'' में दिए गए उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे जब तक कि वे विहित अवधि के भीतर इन विनियमों के अधीन आने के लिए अपना विकल्प नहीं व्यक्त कर देते।

2. **परिभाषाएं:**

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948।

(बी) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, परिशिष्ट ''बी'' में यथा–विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथा घोषित प्राधिकारी।

(सी) ''परिशिष्ट'' से अभिप्राय है, इन विनियमों से संलग्न कोई परिशिष्ट।

(डी) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं।

(ई) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य बिजली बार्ड का अध्यक्ष।

(एफ) ''संवर्ग'' से अभिप्राय है, बोर्ड में एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के भाग की संख्या।

(जी) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या सरकार की सेवा में या सरकार के किसी उपक्रम में या किसी अन्य बिजली बोर्ड में पहले से लगे किसी एक कर्मचारी के अन्तरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो।

(एच) ''सरकार'' से अभिप्राय है हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार या भारत संघ की दशा में केन्द्रीय सरकार।

(आई) ''चिकित्सा प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा इन प्रयोजन के लिए समय समय पर अनुमोदित प्राधिकारी।

(जे) ''दण्ड अधिकारी'' से अभिप्राय है, परिशिष्ट 'बी' में विनिर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथाघोषित प्राधिकारी।

(के) ''चयन समिति'' से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा गठित समिति या सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार चयन करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करने हेतु सक्षम बोर्ड अन्य प्राधिकारी।

(एल) ''सेवा'' से अभिप्राय है, बोर्ड कार्यों के संबंध में गठित को सेवा।

(एम) ''सचिव'' से अभिप्राय है, बोर्ड का सचिव इसमें बोर्ड का अतिरिक्त सचिव भी शामिल होगा।

(एन) ''पूर्णकालिक सदस्यों'' से अभिप्राय है, अध्यक्ष सदस्य (तकनीकी) सदस्य (वित्त तथा वाणिज्य) और बोर्ड सेवा में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कोई अन्य सदस्य।

3. **पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप:**

सेवा में इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दशाएं गए पद शामिल होंगे।

परन्तु इन विनियमों की कोई भी बात, ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थाई रूप से बनाने की सरकार की अन्तर्निहित शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

4. **सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र:**

(1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक की वह निम्नलिखित न हो:–

(ए) भारत का नागरिक; या

(बी) नेपाल की प्रजा; या

(सी) भूटान की प्रजा; या

(डी) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (सामान्यतः टांगानिया तथा जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो,

परन्तु प्रवर्ग (बी), (सी), (डी), तथा (ई) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में समुचित सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, चयन समितियां बोर्ड द्वारा सशक्त किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा, उसके ऐसा प्रमाण देने पर कि उसने प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन कर दिया है, संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे समुचित सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था से, यदि कोई हो चरित्र प्रमाण–पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु इसके व्यक्तिगत जीवन में उसे भली–भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो', उसी प्रकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

(4) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त या सत्यापन सेवा में नियुक्ति के लिए उसे विवर्जित करे।

5. **आयु:**

कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले के, अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु से कम या 30 वर्ष से अधिक आयु का हो।

परन्तु अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा समय–समय पर अनुमोदित सीमा तक आयु मे छूट दी जा सकती है।

6. **नियुक्ति प्राधिकारी:**

सेवा में पदों पर नियुक्तियां, परिशिष्ट ''बी'' में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

7. **अर्हताएं:**

किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में और सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा की दशा में इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट ''डी'' में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो,

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों/पूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नही है और न ही निकट भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना है, सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के विवके पर, संबंधित अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट देने तथा जहां तक अनुभव का संबंध है, ऐसा करने के लिए कारण लिखने के बाद दी जाएगी।

8. **निरर्हता:**

कोई भी व्यक्ति:–

(ए) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(बी) जिसने पति/पत्नी के विवाहित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(सी) जो सरकार/बोर्ड/निगम का पदच्युत कर्मचारी है या नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष है, या

(डी) जो डाक्टरी रूप से स्वस्थ नहीं पाया गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि बोर्ड की सतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

9. **सेवा में नियुक्ति:**

(1) सेवा में नियुक्ति निम्नलिखित में से और परिशिष्ट (डी) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(ए) सीधी भर्ती द्वारा, या

(बी) पदोन्नति द्वारा, या

परन्तु सेवा का कोई सदस्य अगले उच्चतर पद पर तब तक की उन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक की वह विभागीय परीक्षा या ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए इस बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए समय–समय पर विहित किसी परीक्षा या प्रशिक्षण में अर्हित नहीं हो जाता।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं गुण के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसे पदों पर पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. **परिवीक्षाः**

(1) सेवा में किसीपद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं, दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हैं तो एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगेः–

परन्तुः–

(ए) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी।

(बी) अन्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पर पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवके पर, इस विनियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है, और

(सी) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण परिवीक्षा की अवधि के दौरान अच्छा न हो तो वह,

(ए) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है,

या

उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता हे जो उसकी परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था,

परन्तु बढ़ाई गई अवधि समेत, यदि काई हो, परिवीक्षा की कुल अवधि, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(बी) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाना तथा इसके बाद उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार हो,

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढाई गई अवधि यदि कोई हो, शामिल है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, यदि उसका कार्य या आचरण अच्छा रहा हो तो वहः''

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि स्थायी रिक्ति विद्यमान हो तो उसकी परिवीक्षा की अवधि पूरी करने की तिथि से या बाद में स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है।

(ii) यदि कोइ स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है।

(4) किसी कर्मचारी की अवनति/सेवा से हटाया जाना, दण्ड तथा अपील विनियमों में दिए गए उपबन्धों की कोटि में नहीं आएगा।

11. **ज्येष्ठताः**

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी पद पर लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगीः–

परन्तु पहले जहां सेवा मे विभिन्न संवर्ग हों, ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगी,

परन्तु दूसरे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करने में चयन समिति या बोर्ड द्वारा, जेसी भी स्थिति हो, नियत योग्यता–क्रम भंग नहीं किया जाएगा।

परन्तु तीसरे एक ही दिन दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्न प्रकार से निश्चित की जाएगीः–

(ए) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोननति या अन्तरगा द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

(बी) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

(सी) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे व पदोननत या अन्तरित किए गए हों, और,

(डी) विभिन्न संवर्गों से अन्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतनमान भी समान हों तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

व्याख्याः

इस विनियम में यथा निर्दिष्ट "लगातार सेवा" में केवल काम चलाऊ या आकस्मिक/व्यवस्थाओं के लिए या अनंतिम आधार पर कि गई नियुक्तियां शामिल नहीं होंगी।

12. सेवा करने का दायित्वः

(1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने हेतु जिम्मेवार होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा करने के लिए नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता हैः–

(i) कोई कंपनी संस्था अथवा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमि हो या नहीं, जिसका पूर्णया या अधिकाशं स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर, राज्य सरकार, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकारी या विश्वविद्यालय के पास हों।

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकाशं स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार अथवा गैर सरकारी निकाय के पास न हो।

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को खंड (ii) या (iii) निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या संगठन या किसी अन्य निकाय में सेवा करने के लिए उसकी सहमति के बिना प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

13. वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य मसलेः

वेतन, छुटटी, पेंशन तथा सभी संबंधित मामलों से सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों, तथा विनियमों द्वारा आमंत्रित होंगे, जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर बनाए या अंगीकृत किए गए हैं या इसके बाद अंगीकृत किए या बनाए जाएं।

14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलेंः

(1) अनुशासन, शास्तियां तथा सभी संबंधी मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दण्ड तथा अपील) विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

परन्तु शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी परिशिष्ट "बी" मे यथा निर्दिष्ट विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धारा 79 के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होंगे।

(2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दण्ड तथा अपील) विनियमों के इस विनियम के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वे होंगे जो इन विनियमों से संलग्न परिशिष्ट "ई" में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

15. टीका लगवानाः

सेवा का प्रत्येक सदस्य, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा जब कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसा निदेश करें।

16. **राजनिष्ठा:**

सेवा के प्रत्येक सदस्य से भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत संविधान के प्रति और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ और जब भी तथा अपेक्षित रीति में लेने की अपेक्षा की जाएगी।

17. **ढील देने की शक्ति:**

जहां बोर्ड की राय में, इन विनियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है।

18. **विशेष प्रावधान:**

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, बोर्ड या लोक सेवा के हित में, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्ते लगाना समीचीन समझा जाए, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. **आरक्षण:**

इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 16 (4) के अनुसरण में जारी किएगए तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर अंगीकृत किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी सयम संवर्ग के पदो के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. **निरसन या बचते:**

इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा के लिए लागू कोई नियम/विनियम तथा इन विनियमों के अनुरूप जो विनियमों के प्रारम्भ से तुरंत पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु इस प्रकार से निरसित/विनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन विनियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

ये संशोधन 12.04.1991 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

टी. सी. गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

परिशिष्ट –"ए"

(विनियम–1 में निर्दिष्ट)

ये विनियम पंजाब लोक निर्माण विभाग की आपूर्ति विद्युत शाखा के स्थायी सरकारी कर्मचारियों को (इसमें स्थायी पदों पर परिवीक्षा वाले भी शामिल है) लागू होंगे, जो दिनांक 31.01.1959 को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की अन्यत्र सेवा'' शर्तों पर स्थानान्तरित कर दिए गए थे।

अनुशासनः

सेवा मामलों के संबंध में, पंजाब सरकार की बजाय, वे बोर्ड के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे। सरकार के अधीन उसी प्रकार ही प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड और इसका अधीनस्थ प्राधिकारी, अंतिम प्राधिकारी होंगे, किन्तु शास्ति लगाने से पूर्व समय–समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा निर्माण के उपबन्धों लोक सेवा आयोग से परामर्श से संबंधित उपबन्ध के सिवाय, अनुसरण किया जाएगा।

परिशिष्ट–''बी''

(देखिए विनियम–2(बी), 2(जे), 6, 14)

क्र.सं.	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी तथा प्राधिकारी अंतिम प्राधिकारी यदि कोई हो
1.	सहायक विधि	सचिव, अतिरिक्त सचिव	(ए) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी (बी) परिनिन्दा (सी) संचीय प्रभाव से अथवा उसके बिना वेतन वृद्धिया रोकना/बंद करना (डी) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना। (ई) पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी/व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय चाहे, वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद के या राज्य विधान–मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण को पहुंचाई गई हानियां पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली (एफ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन के समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन–वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन–वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं,	सचिव/अतिरिक्त सचिव	वित एवं वाणिज्यिक सदस्य	बोर्ड
2.	सहायक विधि अधिकारी					

			(जी) निम्नतर वेतनमान या ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो कर्मचारी के उस समय पर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए सामान्यतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड/पद या सेवा में ऐसी बहाली पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा, (एच) अनिवार्य सेवा–निवृत्ति, (आई) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी। (जे) सेवा में पदच्युति जो बोर्ड/राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			
3.	विधि अधिकारी	अध्यक्ष	ऊपर (ए) से (जे) तक के अनुसार	अध्यक्ष	बोर्ड	बोर्ड
4.	अवर सचिव/विधि एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी	अध्यक्ष	ऊपर (ए) से (जे) तक के अनुसार	बोर्ड	बोर्ड	बोर्ड

परिशिष्ट–''सी''

(देखिए विनियम–3)

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1.	सहायक (विधि)	–	2	2	1640/2600 रू.
2.	सहायक विधि अधिकारी	–	5	5	2000/3200+150 रू.एस.पी.
3.	विधि अधिकारी	1	10	11	2375/3600+200 रू.एस.पी.
4.	अवर सचिव/विधि एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी	–	2	2	3000/4500+300 रू. एस.पी.

परिशिष्ट–''डी''

(विनियम–7 एवं 9 देखे)

क्र.सं.	पद का नाम	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई है।	सीधी भर्ती के भिन्न नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई है
1.	सहायक (विधि)	(ए) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत (बी) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय एल.एल.बी. (व्यावसायिक)। (सी) अधिवक्ता के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	(ए) विभागीय उम्मीदवारों में 50 प्रतिशत नियुक्ति। (बी) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय एल.एल.बी. (व्यावसायिक)। (सी) विधि कार्य सहित एक पद पर 2 वर्ष का अनुभव।
2.	सहायक विधि अधिकारी	(ए) सीधी भर्ती द्वारा 1/3 (बी) हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय एल.एल.बी. (व्यावसायिक)। (सी) अधिवक्ता के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।	(ए) 2/3 पद सहायकों (विधि) में से वरिष्ठता एवं योग्यता आधार पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते की उसने सेवा के 3 वर्ष पूर्व कर लिए हो। **टिप्पणी:** यदि पदोन्नति के लिए सहायक (विधि) उचित प्रकार से उपलब्ध नहीं है तो रिक्त पद उन उम्मीदवारों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं जो खाना–2 के तहत दी गई न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं।
3.	विधि अधिकारी		सहायक विधि अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता आधार पर पदोन्नति द्वारा, बशर्ते कि उसने कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो।
4.	अवर सचिव/विधि एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी		विधि अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता आधार पर पदोन्नति द्वारा, बशर्ते कि उसने कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो।

परिशिष्ट–''ई''

(विनियम– 14(2) देखें)

क्र. सं.	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने वाला सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	दूसरी तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1.	सहायक (विधि)	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे स्वीकार्य सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या उसे रोकना। (ii) सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति की अधिवर्षिता के लिए नियत आय के होने से अन्यथा समाप्ति।	सचिव/अतिरिक्त	सदस्य वित्त एवं वाणिज्य	बोर्ड
2.	सहायक विधि अधिकारी				
3.	विधि अधिकारी	उपर्युक्त खाना (i) से (ii) के अनुसार।	अध्यक्ष	बोर्ड	बोर्ड
4.	अवर सचिव/विधि एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी	उपर्युक्त खाना (i) से (ii) के अनुसार।	अध्यक्ष	बोर्ड	बोर्ड

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2020

No. 31/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to notify the Regulations governing the Recruitment, promotion and other conditions of service of persons appointed to the "H.S.E.B (Legal Service) Regulations issued by erstwhile HSEB vide notification No. 97/REG-64 dated 12.04.1991 w.e.f date of office order:-

In exercise of the power conferred by Clause (C) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Elecy. Board hereby notifies the following regulations governing the Recruitment, promotion and other conditions of service of persons appointed to the "H.S.E.B (Legal Service) Regulations, namely:-

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION

(i) These Regulations may be called the "HSEB (Legal Service) Regulations, 1991".

(ii) These Regulations shall come into force with immediate effect.

(iii) These regulations shall apply to every member of the Service.

Government employees, who were holding substantive/permanent pensionable posts in the Erstwhile Electricity Branch of the Punjab P.W.D on 31.1.1959 including those on "Probation" against permanent posts in the said Branch while they were on "Foreign Service" with the composite Punjab State Elecy. Board or when their services were transferred to the Board. Such employees, will be governed by the provisions as contained in APPENDIX-"A" hereto, till such time they opt to come under these Regulations within the prescribed period.

2. DEFINITIONS

In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended from time to time.

(b) 'Appointing Authority' means the authority specified in Appendix 'B' or as may be declared by the Board from time to time.

(c) 'Appendix' means an appendix appended to these regulations.

(d) 'Board' means the Haryana State Electricity Board constituted under Section-5 of the Act, and shall include its successors and assignees.

(e) 'Chairman' means the Chairman of HSEB.

(f) 'Cadre' means the strength of a service or part of a service sanctioned as a separate unit in the Board.

(g) 'Direct Recruitment' means an appointment made to the service otherwise than by promotion from within the service or by transfer or deputation of an employee already in the service of the Government or any undertaking of the Government or any other Electricity Board.

(h) 'Government' means the State Govt. in the State of Haryana of the Central Govt. in the case of Union of India.

(i) 'Medical Authority' means the authority approved by the Board for the purpose, from time to time.

(j) Punishing Authority means the authority specified in Appendix – 'B' or as may be declared by the board from time to time.

(k) 'Selection Committee' means the Committee constituted by the Board or any other authority competent to do so for the purpose of selecting candidates for appointment to the service.

(l) 'Service' means a service constituted in connection with the affairs of the Board.

(m) 'Secretary' means the Secretary of the Board. This shall also include the Additional- Secretary.

(n) 'Whole-Time-Members' means the Chairman, Member (Technical), Member (Finance and Commercial) and any other member of the Board appointed to serve on whole time basis.

3. NUMBER AND CHARACTER OF POSTS:

The Service shall comprise of the posts shown in Appendix-'C' appended to these Regulations.

Provided that nothing in these regulations shall affect the inherent power of the Board to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designation and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. NATIONALITY, DOMICILE AND CHARACTER OF CANDIDATES APPOINTED TO THE SERVICE

(1) No person shall be appointed to any post in service, unless he is:-

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formally Tangayika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the Intention of permanently settling in India.

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a Certificate of eligibility, has been issued by the appropriate Government.

(2) A person in whose case a Certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Selection Committee or any other recruiting authority empowered by the Board in this regard on his furnishing proof that he has applied for the certificate but the "Offer of Appointment" may be issued only after the necessary eligibility Certificate has been issued to him by the appropriate Government.

(3) No person shall be appointed to the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the University, College, School or Institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

(4) No person shall be appointed to the service by direct recruitment whose character and antecedents on verification, debar him/her for appointment to the service.

5. AGE

No person shall be appointed by any post in the service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 30 years of age, on or before the 1st day of August, next preceding the last date of submission of applications to the Board.

Provided that age limit will be relaxed in respect of SC/BC, HC, Ex-Servicemen and widows to the extent, approved by the Board from time to time.

6. APPOINTING AUTHORITY

Appointments to the posts in the service shall be made by the Appointing Authorities specified in Appendix-'B'

7. QUALIFICATION

No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in Appendix-'D' appended to these regulations in the case of direct recruitment and in the case of appointment other than by direct recruitment.

Provided that in case of direct recruitment to the posts meant for Scheduled Caste/Backward Classes/Ex-Servicemen and physically Handicapped persons, sufficient number of candidates belonging to these categories are not available nor are likely to be available in near future, the qualifications at the discretion of the Competent Authority shall be relaxable to the extent of 50% as far as experience is concerned. This shall be done after recording reasons for the same in writing.

8. DISQUALIFICATION

No Person –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person; or

(c) Who is a dismissed Govt./Board/Corporation employee or convicted of an offence involving moral turpitude, or

(d) Who has not been found medically fit; shall be eligible for appointment to any post in the services.

Provided that the Board may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

9. APPOINTMENT TO THE SERVICE:

(1) Appointment to the service, shall be made in any of the following manners and as specified in Appendix 'D':-

(a) By direct recruitment; or

(b) By Promotion;

Provided that a member of the service, shall not be eligible for promotion to the next higher post until he qualifies the Departmental Examination or any examination or training prescribed for the purpose by the Board from time to time for appointment to such post.

(2) All Promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone, shall not give, any right to such promotions.

10. PROBATION :

(1) Persons appointed to any post in the service, shall remain on probation for a minimum period of two years, if appointed by direct recruitment and for a minimum period of one year, if appointed otherwise;

Provided that :-

(a) Any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post, shall count towards the period of probation:

(b) Any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this regulation; and

(c) Any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed, period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of person during the period of probation or extended period is not good, it may:-

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;

Or

Extend his period or probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,

(i) revert him to his former post; or

(ii) extend his period of probation and thereafter deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit,

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed two years.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may if his work or conduct has, in its opinion, been good :-

(i) Confirm such person from the date of his completion of probation period, if a permanent vacancy exists or from the date from which permanent vacancy occurs subsequently.

(ii) Declare that he has completed his probation to the satisfaction of the Appointing Authority, if there is no permanent vacancy.

(4) The reversion/dispensing with the service of an employee, shall not be tantamount to the provisions as contained in Punishment and Appeal Regulations.

11. SENIORITY

Seniority, interse of member of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service;

Provided firstly that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided secondly that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the selection Committee, or the Board, as the case may be shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided thirdly that in the case of two or more members appointed on the same day, their seniority shall be determined as follows;-

(a) A member appointed by direct recruitments shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) A member appointed by promotion, shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) In the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they are promoted or transferred; and

(d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay preference being given to a member, who was drawing a higher scale of pay in his previous appointment, and if the scale of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the elder member shall be senior to the younger member in age.

EXPLANATION

"Continuous Service" as referred to in this Regulation shall not include the appointments made on purely stop gap or fortuitous arrangements or provisional basis.

12. LIABILITY TO SERVE

(1) A member of the service, shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of service, may also be deputed to serve under :-

(i) A Company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or local authority or University within the State of Haryana; or

(ii) The Central Government or a Company, association or body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) Another State Government, an international organization an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service, shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in Clause (ii) or Clause (iii) except with his consent.

13. PAY, LEAVE, PENSION & OTHER MATTERS

In respect of pay, leave, pension and all other related matters, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the Board from time to time.

14. DISCIPLINE, PENALTIES & APPEALS

(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals the members of the service shall be governed by Haryana State Electricity Boar Employees (Punishment and Appeal) Regulations as amended from time to time.

Provided that the nature of penalties which may be inflicted, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority, subject to the provisions of any Regulation made under Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948, be, as specified in Appendix- 'B'

(2) The authority competent to pass order under Regulations of H.S.E.B. Employees (Punishment & Appeal) Regulations and appellate authority, shall also, be as specified in Appendix-'E' appended to these regulations.

15. VACCINATION

Every member of the service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Appointing Authority so directs by a special or general order.

16. OATH OF ALLEGIANCE

Every member of the service shall be required to take the oath of allegiance to India and its constitution as by law established and directed by the Appointing Authority, as and when and the manner in which require.

17. POWER OF RELAXATION

Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

18. SPECIAL PROVISION

Notwithstanding anything contained in these regulations, the appointing authority, may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so in the interest of Board or Public service.

19. RESERVATIONS

Nothing contained in these regulations, shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other Class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, and adopted by the Board from time to time in pursuance of Articles 16 (4) of Constitution of India.

Provided that the total percentage of reservation so made, shall not exceed 50% of Cadre post at any time.

20. REPEAL AND SAVINGS

Subject to the provisions of these Regulations, any Rule/Regulation applicable to the service and corresponding to any of these Regulations which is in force immediately before the commencement of these Regulations, is hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the Rule/Regulations so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these regulations.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 12.04.1991 i.e. actual date of issuance of office order.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

APPENDIX- "A"

(Referred to in Regulation-1)

Regulations applicable to permanent Government Employees of the Erstwhile Electricity Branch of the Punjab P.W.D. (including those on probation against permanent posts), who were transferred on "Foreign service" terms to the Punjab State Electricity Board on 31.1.1959

DISCIPLINE

In respect of service matter, they will be under the administrative control of this Board, instead of the Punjab Government. The Board and its subordinates authorities in accordance with the delegation, on similar lines as under Government, will be the final authority but, before a penalty is imposed the provisions of the Punjab Civil Services, as amended from time to time, will be followed, except that relating to consultation with the Public Service Commission.

APPENDIX- "B"

(See Regulation – 2(b), 2(J), 6, 14)

Sr. No.	Delegation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Asstt. Legal	Secy./ Addl. Secy.	(a) Warning with a copy to be placed in the personal / (character roll) file.	Secy./Addl. Secy	M.F.C.	Board
2	Asstt. Law Officer		(b) Censure (c) Withholding/stoppage of increments of pay with or without cumulative effect (d) Withholding or promotion for a specific period. (e) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders of the Board or Central Govt. or a State Govt. or to a Company Association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by Govt. or to a local authority set-up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State, during discharge of official duty. (f) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of post-poning the future increments of his pay. (g) Reduction to a lower scale of pay or a grade post or service, which shall			

Sr. No.	Delegation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to imposed penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
			ordinarily be bar to the promotion of the employee to the time scale of pay or grade or post or service, from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the employee was reduced and seniority and pay on such restoration to that grade or post or service; (h) Compulsory Retirement (i) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board. (j) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Board / State Govt. / State Government Undertakings.			
3	Law Officer	Chairman	As (a) to (j) above	Chairman	Board	Board
4	US/Legal-cum-Sr. Law Officer	Chairman	As (a) to (j) above	Board	Board	Board

APPENDIX-"C"

(See Regulation-3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
1	Assistant (Legal)	-	2	2	1640/2600+Rs.
2	Assistant Law Officer	-	5	5	2000/3200+Rs. 150/- SP
3	Law Officer	1	10	11	2375/3600+Rs. 200/- SP
4	US/Legal-cum-Sr. Law Officer	-	2	2	3000/4500+Rs. 300/- SP

APPENDIX-"D"

(See Regulation-7 & 9)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant (Legal)	(a) 50% by direct recruitment. (b) L.L.B. (Professional) Degree from any University recognized by the Government of Haryana. (c) 2 years practice as an advocate.	(a) 50% appointment from amongst departmental candidates. (b) L.L.B. (Professional) Degree from any University recognized by the Government of Haryana. (c) 2 years experience on a post involving legal work.
2	Assistant Law Officer	(a) 1/3rd by direct recruitment. (b) L.L.B. (Professional) Degree from any University recognized by the Government of Haryana. (c) 3 years practice as an advocate.	(a) 2/3rd posts shall be filled-up by promotion from amongst Assistants (Legal) on seniority-cum-merit basis, provided he has completed 3 years service as such. NOTE: In case, suitable Assistants (Legal) are not available for promotion, the vacant posts may be filled-up by direct recruitment from amongst candidates, who possess the minimum qualifications given under Col-2.
3	Law Officer	-	By promotion from amongst Assistant Law Officers, on seniority-cum-merit basis, provided he has rendered at least 3 years service as such.
4	Under Secretary (Legal)-cum-Sr. Law Officer	-	By promotion from amongst Law Officers on seniority-cum-merit basis, provided he has rendered at least 3 years service as such.

APPENDIX-'E'

[See Regulations- 14 (2)]

Sr. No.	Designation of post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority, if any.
1	2	3	4	5	6
1 2	Assistant (Legal) Assistant Law Officer	(i) Reducing or with holding the amount of ordinary / additional pension admissible under the rules governing pension (ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Secy./Addl. Secy.	M.F.C.	Board
3	Law Officer	As (i) to (ii) above	Chairman	Board	Board
4	US/Legal-cum-Sr. Law Officer	As (i) to (ii) above	Chairman	Board	Board

8831—C.S.—H.G.P., Pkl.